संख्या- 93 /2025/941/26 3 2025-1620566

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/दो-लेखा/88291/बजट/आ./24, दिनांक 01.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 531.00 लाख के सापेक्ष **धनराशि रूपये 265.50 लाख (रूपये दो करोड़ पैसठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 49,00,000 (रुपये उन्चास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2225018000700 अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 2,16,50,000 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2225018000700 अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by

Rajani Kant Pandey

Date: 09-04-2025 17:33:21

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8-वित्ति एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव